संख्या-03/2020/121/94-स्टा0नि0-2-20-700(01)/2015

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

1- आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ |
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश |
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश |

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2020**

विषय:- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना पुनः लागू किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनपद स्तर पर स्टाम्प कलेक्टरों, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) तथा सहायक आयुक्त, स्टाम्प के न्यायालयों में काफी संख्या में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-33, 47ए(1) एवं 47ए(3) के अन्तर्गत स्टाम्पवाद योजित हैं, जिनमे राज्य सरकार की राजस्व क्षति निहित है| इन वादों के त्वरित गति से निस्तारण से जहाँ राज्य को इंगित स्टाम्प कमी के सापेक्ष धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी, वहीं सम्बंधित पक्षकारों को भी न्याय में विलम्ब के कारण बढ़ने वाली ब्याज की देयता से राहत प्राप्त होगी|

2- प्रदेश स्तर पर स्टाम्प वादों के निस्तारण की विशद विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन वादों के निर्णय में बहुधा अतार्किक एवं बिना सम्यक आधार के आरोपित अत्यधिक अर्थ-दण्ड समाप्त कराने हेतु अपील/रिट योजित की जाती है| इस कारण राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की मूल धनराशि समय से प्राप्त नहीं हो पाती है एवं प्रकरण अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में उलझ जाता है|

3- स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए, उसमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिए गया है| उक्त योजना निम्नवत् क्रियान्वित की जायेगी:-

(1) सभी जनपद स्तरीय स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों एवं मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में लम्बित समस्त स्टाम्पवादों/स्टाम्प अपीलों एवं स्टाम्प निगरानियो में पक्षकारों को इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर एक नोटिस भेजेंगे, जिससे वाद के सभी सम्बंधित पक्षकारों को इस योजना की सम्यक जानकारी हो जाए|

(2) समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्पवाद/स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी में, यदि पक्षकार सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने का इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सम्बंधित न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा|

(3) सम्बंधित न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रार्थना पत्र के प्राप्त होते ही सम्बंधित स्टाम्पवाद/स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी में एक सप्ताह के अन्दर तिथि नियत करते हुए (आवश्यकता पड़ने पर नियत तिथि को संशोधित करते हुए) इसी अवधि में सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे|

(4) सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के उपरांत सम्बंधित न्यायालय/ मा० सी०सी०आर०ए० उक्त नियत तिथि को पक्षकार को पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि तथा ब्याज एवं रु० 100/- के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार के मद संख्या-0030 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में जमा करने हेतु अवगत करायेंगे|

(5) प्रश्नगत वाद में उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत विनिश्चित की गई धनराशि जमा कराये जाने की रसीद के साथ प्रार्थना पत्र होने पर कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० के कर्मचारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर तिथि नियत करके पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी|

(6) तत्पश्चात न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी स्टाम्प कमी एवं ब्याज धनराशि मयअर्थदण्ड के कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि के प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत रसीद के दृष्टिगत वाद को रु० 100/- के टोकन अर्थदण्ड के साथ निस्तारित कर देंगे|

(7) इस प्रकार कमी की धनराशि एवं नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि की अदायगी के उपरांत न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-42 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र अंकित करने के साथ ही यह वाद स्टाम्प प्रभार्यता के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निस्तारित माना जायेगा|

(8) यह समाधान योजना 30 अप्रैल 2020 की अवधि तक प्रभावी रहेगी| किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में, योजना के प्रभावी रहने की अंतिम तिथि से पूर्व पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार ब्याज एवं रु० 100/- के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि के साथ जमा करने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा|

(9) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत न्यायालय/मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के एक माह के अन्दर वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य होगा|

(10) उपरोक्त योजना को जनपद स्तर पर विज्ञप्ति के माध्यम से तथा विभिन्न कार्यालयों एवं न्यायालयों में सूचनापटों पर स्पष्ट सूचना के आधार पर तथा अन्य माध्यमों से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे जो पक्षकार सन्दर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को देकर अपने वाद का निस्तारण कराने का इच्छुक हो, उन्हें नियत अवधि में अवसर प्राप्त हो सके|

(11) समस्त जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के सभी कलेक्टर स्टाम्प के न्यायालय/ मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी में लम्बित स्टाम्पवादों में ऐसा कोई प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष नही है, जिसमें पक्षकार के द्वारा इंगित स्टाम्प कमी को जमा कराते हुए अपने वाद के निस्तारण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उसका वाद निस्तारित नहीं किया गया है|

(12) इस अवधि में उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत निस्तारित प्रकरणों के सन्दर्भ में प्रत्येक कलेक्टर स्टाम्प/मा० सी०सी०आर०ए० के पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक माह निस्तारित प्रकरणों की संख्या एवं उसमे आरोपित एवं वसूल की गई स्टाम्प कमी का विवरण, निम्नांकित प्रारूप में आयुक्त स्टाम्प को उपलब्ध करायेंगे|

क्र० सं०	**न्यायालय का नाम**	**कुल लम्बित वादों/अपील निगरानी की सं०**	**समाधान योजना के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिसों की सं०**	**समाधान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की सं०**	**निर्णीत वादों/अपील निगरानी की सं०**	**निर्णीत वादों/अपील निगरानी में वसूल की गयी धनराशि**	**समाधान योजना के अन्तर्गत अवशेष आवेदन पत्रों की सं० तथा उसमें निहित धनराशि**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद्, उ०प्र०						
2.	मण्डलायुक्त						
3.	अपर मण्डलायुक्त						
4.	उपायुक्त स्टाम्प						
5.	जिलाधिकारी						
6.	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)						
7.	सहायक आयुक्त स्टाम्प						

<u>संलग्न-नोटिस का प्रारूप</u>

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष,राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त,सदस्य/न्यायिक सदस्य,राजस्व परिषद्,उत्तर प्रदेश को भी उपरोक्त से अवगत कराने का कष्ट करें|
2. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), उत्तर प्रदेश|
3. समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश|
4. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश|

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शासनादेश संख्या-03/2020/121/94-स्टा०नि०-2-20-700(01)/2015,दिनांक 02 मार्च,2020 का संलग्नक)

<u>समाधान योजना के अंतर्गत पक्षकार को भेजी जाने वाली नोटिस का प्रारूप</u>

न्यायालय-.....

(स्टाम्पवाद/समाधान योजना के अंतर्गत)

<u>नोटिस</u>

स्टाम्पवाद/स्टाम्प अपील/स्टाम्प निगरानी संख्या-...../वर्ष.....

भा०स्टा०अधि० की धारा-33/धारा-47ए(1),(3)/धारा-56-1(ए) वाद के

पक्षकार.....

श्री-.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

निवासी-.....परगना-.....

तहसील-..... जनपद-.....

आपके विरुद्ध इस न्यायालय में प्रचलित स्टाम्पवाद/स्टाम्प अपील/स्टाम्प निगरानी के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है जो माह.....में प्रभावी है| इस योजना के अंतर्गत यदि आप स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत हों तो आपके वाद को मात्र रू० 100 के टोकन अर्थदण्ड के साथ अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाएगा| यदि आप उक्त योजना के अंतर्गत अपने वाद के निस्तारण के इच्छुक हैं तो तदनुसार न्यायालय में एक पक्ष में अपनी सहमति प्रस्तुत कर दें|

वाद की सुनवाई का स्थान-.....

सुनवाई हेतु नियत तिथि-..... आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है|

पीठासीन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/मुहर नोटिस 02 प्रतियों में तहसीलदार को पंजीकृत डाक से इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे पक्षकार को तामील कराकर 01 प्रति उक्त नियत तिथि से पूर्व इस न्यायालय में वापस भिजवाने की व्यवस्था करें|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।